

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8511/2026

CNR: RJHC010606482026

URN: CRLMB / 18474U / 2026

1. Mukesh S/o Shri Mangtu Ram, Aged About 38 Years, R/o Kumhari Darwaja Ke Pass, Ps Kotwali, Nagaur, District Nagaur (Raj). (Presently Lodged At District Jail Nagaur)
2. Durgashankar S/o Shri Jeewanmal, Aged About 60 Years, R/o Rampol Ke Pass, Nagaur, District Nagaur Raj. (Persently Lodged At District Jail, Nagaur)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Sunil Chhaba

For Respondent(s) : Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

09/07/2026

01. प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना कोतवाली नागौर, जिला नागौर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 199/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 112(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को पूर्व में धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के प्रकरणों में दोषी पाये जाने के कारण पुनः आर.पी.जी.ओ. के मुकदमे के आधार पर धारा 112(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध जोड़ा गया है। प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण—अभियुक्तगण दिनांक 14.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा केस डायरी का अवलोकन किया।
06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
07. परिणामतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **1. मुकेश पुत्र मंगतुराम तथा 2. दुर्गाशंकर पुत्र जीवनमल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक-एक लाख रुपये के मुचलके एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J